

प्रेषक,

राम सिंह,
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-3

देहरादून : दिनांक 19 जनवरी, 2016

विषय- प्रधान कुटुम्ब न्यायालय देहरादून एवं कुटुम्ब न्यायालय, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, हरिद्वार, उधमसिंहनगर तथा अपर कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून, ऋषिकेश (देहरादून) एवं रूडकी (हरिद्वार) के लिये सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-55/xxxvi(2)/2013-208-एक(2)/2001, दिनांक 21-2-2013 तथा शासनादेश संख्या-170/xxxvi(2)/2013-08/01-टी0सी0 दिनांक 27-06-2013 एवं आपके पत्रांक 4440/UHC/Admin.B/XVI-27/2010-11 दिनांक-22-07-2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधान कुटुम्ब न्यायालय देहरादून एवं कुटुम्ब न्यायालय, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, हरिद्वार, उधमसिंहनगर तथा अपर कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून, ऋषिकेश (देहरादून) एवं रूडकी (हरिद्वार) के लिये सृजित अस्थायी पदों की वर्ष 2014-15 में दिनांक 01-03-2014 से 28-2-2015 की कार्योत्तर स्वीकृति एवं वर्ष 2015-16 में दिनांक 01-03-2015 से 29-2-2016 की निरन्तरता बढ़ाये जाने की, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दी जाये, वर्तमान लाभ शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त न्यायालय/पदों का सृजन मूलरूप में शासनादेश संख्या-3034/सात-न्याय अनुभाग-2-226/89, दिनांक 15-11-1995, शासनादेश संख्या-321/न्याय अनुभाग/2001 दिनांक 24-12-2001 एवं शासनादेश संख्या-38-एक(1)/न्याय विभाग/2004 दिनांक 15-4-2004 द्वारा किया गया था।

2- उक्त न्यायालय के कार्यालय में पद धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर- 105-सिविल और सेशन न्यायालय-04-पारिवारिक न्यायालय-00 के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- ए-1-1270/76-दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या- ए-2-877/दस-92-24(8)/92 दिनांक 7-11-92 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किए गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-192/N.P./XXVII(5)/2015, दिनांक : 15 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम सिंह)
प्रमुख सचिव।

